न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा, (RJS–DJ CADRE)**

निर्णय दिनांकः– 13.03.2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 477/2017

सी.आई.एस. नंबरः– 537/2017

सी.एन.आर. नंबरः– RJBR050009192017

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 303/2017, **पुलिस थानाः– अटरू**, जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 341, 323, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. मदन उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र सत्यनारायण, उम्र–31 साल (वर्तमान उम्र–39 साल), 2. नीलू उर्फ निर्मल पुत्र हेमराज, उम्र–23 साल (वर्तमान उम्र–31 साल), निवासीगण–छैलाबैल, थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री कमलेश दुबे

B

अपराध की दिनांक	31.08.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	01.09.2017
आरोप पत्र की दिनांक	13.12.2017
आरोपों की विरचना की दिनांक	14.09.2018
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	14.09.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	13.03.2026
निर्णय की दिनांक	13.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	13.03.2026

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	मदन उर्फ पुष्पेन्द्र	22.09.2017	23.09.2017	341, 323, 504, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) Sc/St act	धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. दोषसिद्ध व शेष धाराओं में दोषमुक्त	पैरा संख्या 46 व 47 के अनुसार	दिनांक 22.09.2017 से 23.09.2017 तक
02	नीलू उर्फ निर्मल	22.09.2017	23.09.2017	341, 323, 504, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) Sc/St act	धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. दोषसिद्ध व शेष धाराओं में दोषमुक्त	पैरा संख्या 46 व 47 के अनुसार	दिनांक 22.09.2017 से 23.09.2017 तक

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P.W. 01	घीसी बाई	परिवादिया/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.02	पप्पूलाल	आहत साक्षी
P.W.03	प्रभूलाल	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.04	छोटूलाल	पंच साक्षी
P.W.05	कृष्ण कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.06	राजेन्द्र कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W. 07	हेमराज	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W. 08	राजकुमार	पंच साक्षी
P.W. 09	राकेश कुमार मीणा	चिकित्सकीय साक्षी
P.W. 10	रणविजय सिंह	अनुसंधान अधिकारी/पुलिस साक्षी
P.W. 11	डॉ. अतीक	चिकित्सकीय साक्षी
P.W.12	भोजराज	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02/PW.01	चाक एफ.आई.आर.
03	प्रदर्श पी.03/PW.02	नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी.04/PW.03	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. प्रभूलाल
05	प्रदर्श पी.05/PW.05	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. कृष्णकुमार
06	प्रदर्श पी.06/PW.06	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. राजेन्द्र कुमार
07	प्रदर्श पी.07/PW.07	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. हेमराज
08	प्रदर्श पी.08/PW.09	एक्सरे कवर नोट
09	प्रदर्श पी.09 लगायत 11/PW.09	एक्सरे प्लेट
10	प्रदर्श पी.08 व 09/PW.10	फर्द गिरफ्तारी मुल्जिमान
11	प्रदर्श पी.10/PW.11	चोट प्रतिवेदन
12	प्रदर्श पी.11/PW.12	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. भोजराज

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण

01	प्रदर्श डी.01/PW 02	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. पप्पलाल

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 31.08.2017 को परिवादिया घीसी बाई ने मय अपने पति आहत पप्पूलाल के थाना अटरू पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 27.08.2017 को सुबह 09.30 बजे करीब ग्राम माल छैलाबैल थाना अटरू का वाका है। वह खेत पर गयी तो सत्यनारायण उसके खेत में से मूंग की फसल की फलियां चोरी से तोड़ रहा था तो उसने उससे कहा कि आप हमारे मूंग की फलियां क्यों तोड़ रहे हो तो उसने कहा कि इधर ज्वार की सूड़ की तरफ चल अभी तुझे बताता हूं। इस तरह उसके लामक झूमा हो गया और उसका हाथ पकड़ लिया तथा उसकी साड़ी खोलने की कोशिश की तो उसके साथ गयी हुई औरतें गायत्री, धनकंवर व उसकी ननद इन्द्रा तथा उसकी लड़की संगीता ने उसकी लाज बचायी। इसके बाद आधे घण्टे बाद सत्यनारायण का लड़का मदन जो सरपंच पति है, हाथ में लकड़ी लेकर उसके घर चला गया, जहां पर उसकी बड़ी लड़की गोली थी, जिससे फोस–फोस मां–बहिन की गांलियां निकाली व जातिसूचक शब्दों चमारी, डेल्डे कह कर अपमानित किया, जिसकी वह उसी दिन रिपोर्ट को आ रही थी, लेकिन गांव के समझदार व बुजुर्ग व्यक्तियों ओमजी ब्राह्मण ने कहा कि यह इज्जतदार व्यक्ति है तथा गांव के सरपंच के पति व ससुर हैं इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं करवायी। लेकिन उस बात को लेकर आज उसके पति पप्पूलाल सुबह 06.30 बजे करीब बकरियां चराने जा रहे थे तो मदन ने उसके पति का रास्ता रोक कर लकड़ी से, टोनू पुत्र हेमजी, नील पुत्र हेमजी, सोनू पुत्र राजू, राजू पुत्र नन्दकिशोर ने लकड़ियों से उसके पति के साथ मारपीट की, जिससे उसके पति पप्पूलाल के दोनों पैरों में दोनों हाथों, कन्धों व पीठ पर गंभीर चोटें आयी हैं। जहां पर सूजन है। पीछे से वह भी भैंस लेकर जा रही थी तो वह उसके

पति को बचाने गयी तो मदन ने उसे बाथ भर कर नीचे पटक दिया और हेमजी की पत्नी, राजू की पत्नी, मदन की पत्नी ने उसके चप्पलों, लात–घूसों से मारपीट की तथा चमारे डेल्डे कह कर उसे व उसके पति को अपमानित किया। उस समय गांव के बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो गये थे, लेकिन उनके घर की वजह से किसी ने भी बीच–बचाव नहीं किया और उसका पति बेहोश हो गया था, जिसे मरा हुआ समझ कर वे लोग भाग गये,.....इत्यादि।

2– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अटरू द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **303/2017 अपराध अंतर्गत धारा 143, 341, 323, 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(L), 3(1)(w)(i) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 13.12.2017 को अभियुक्तगण मदन उर्फ पुष्पेन्द्र व नीलू उर्फ निर्मल के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा **341, 323, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। साक्ष्य अभियोजन समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाना कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

5– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्तगण द्वारा आहत पप्पूलाल को रोक कर उसका सदोष अवरोध कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत पप्पूलाल के साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की?

(ii) आया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौंच कर अपमानित किया?

(iii) आया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य होना जानते हुए लोक दृश्य में आने वाले स्थान पर जातिसूचक गालियों से सम्बोधित किया एवं अधिनियम की अनुसूची में आने वाला धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया ?

(iv) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

7– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

8– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रकरण में सभी स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। स्वयं परिवादिया और आहत पप्पूलाल के कथनों में परस्पर अंतर और विरोधाभास है। परिवादिया घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थी। वास्तव में परिवादी पक्ष की बकरियां अभियुक्तगण व अन्य लोगों के खेतों में घुस कर नुकसान करती है, इस बाबत् उलाहना देने पर परिवादिया ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है। आहत के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि घटना के समय अभियुक्तगण के अलावा अन्य लोग भी मारपीट में सम्मिलित थे तो यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा ही आहत के साथ मारपीट कर चोटें कारित की गयी हो। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया व आहत की जाति को जानते हुए उनके साथ मारपीट की हो। अभियुक्तगण द्वारा आहत को जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया जाना या जाति के आधार पर मारपीट किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

9– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10– प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड.01 घीसी बाई जो स्वयं परिवादिया है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि वर्ष 2017 में सुबह आठ नौ बजे करीब वह उसके खेत में चारा लेने गयी थी। वहां उसके खेत के पास ही सत्यनारायण उसके खेत में से मूंग की फलियां तोड रहा था। उसने सत्यनारायण से कहा कि

तुम क्या कर रहे तो उसने कहा कि वह मूंग की फलियां तोड रहा है। उसने कहा कि तुमने एक दिन पहले भी तोडी थी, तुम उससे कह देते तो वह ही दे देती। उसने उसके हाथ में से फली का कट्टा छुडा लिया। फिर उनके घर पर जाकर घरवालों को फलियां बता दी। उक्त गवाह ने अपने बयानों में एक अन्य घटना बताते हुए कथन किया है कि इस घटना के तीन दिन बाद उसका पति पप्पूलाल बकरियों को लेकर चराने के लिए जा रहे थे, वह उनके पीछे थी। **जैसे ही मदन के घर पर पास पहुंचे तो वहां पर उसके पति को रोककर मदन, लीलू उर्फ निर्मल व अन्य पांच–छः उनके घरवालो ने मारपीट की। वह पीछे से गयी तो उनकी औरतो ने उसे रोककर उसके साथ भी मारपीट की, जिनके नाम आज उसे याद नहीं है।** जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि रिपोर्ट में वकील साहब ने हमने बताया था, वह ही लिखा था। यह सही है कि उसने पहली घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी। दूसरी घटना हुई तब रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। **मदन सरपंच मुल्जिम के पिताजी सत्यनारायण हमारे खेत की फलियां तोड़ रहे थे, उसी बात पर झगड़ा हुआ था। यह कहना सही है कि उसके कोई चोट नहीं आयी थी।** यह सही है कि जब पप्पू के साथ मारपीट व गाली–गलौंच हुई, तब वह वहां पर नहीं थी, वह घटना के बाद गयी थी।

11– पी.ड. 02 पप्पूलाल जो परिवादिया का पति होकर प्रकरण में स्वयं आहत है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि सत्यनारायण हमारे खेत में से मूंग की फलियां तोडता था। उसकी पत्नि ने उससे मना किया तो इसी बात को लेकर, उसी दिन उसने व उसकी पत्नि ने इनके घर पर जाकर समझाईश की। **उसके चार–पांच दिन बाद वह बकरियां लेकर इनके घर के आगे से जा रहा था, तो उसे मदन, सोनू, राजू, मोनू व अन्य पांच छः लोग, जिनके नाम आज उसे याद नहीं है, ने उसे रोक लिया तथा उसके साथ मदन व निर्मल ने लकडियों से हाथ–पैर पर मारपीट की, जिससे उसके चोट आयी।** फिर वह प्रभू मेहरा के घर में घुस गया तो वहां भी इन लोगो ने आकर उसके साथ मारपीट की। उसकी पत्नि पीछे से आयी तो उनकी औरतों ने उसे रोककर उसके साथ भी मारपीट की। उक्त गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.02, नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि मुल्जिमान ने क्या जातिसूचक गालियां दी हमने रिपोर्ट में नहीं लिखा। **यह सही है कि मुल्जिमान ने क्या गालियां दी, उसे याद नहीं है। उसके खरोंच थी, जिनमें खून निकल गया था। फलियां तोड़ने का हमारे बीच झगड़ा हुआ, उसके दो–तीन दिन बाद यह घटना हुयीं।** पुलिस बयान प्रदर्श डी.01 का ए से बी भाग में मुल्जिमान द्वारा यह कहना कि तेरी बकरियों ने हमारे खेत में नुकसान किया है, गलत लिखा है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने बकरियां खेत में घुसने की आपत्ति की हो और उसी कहासुनी के कारण उसने यह झूठा मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज करा दिया हो।

12– पी.ड. 03 प्रभूलाल जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने पुलिस बयान प्रदर्श पी.04 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

13– पी.ड. 04 छोटूलाल ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि नक्शे में क्या लिखा है, उसे नहीं पता, क्योंकि उसे किसी ने पढ़कर नहीं सुनाया।

14– पी.ड. 05 कृष्ण कुमार घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उक्त गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी.05 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

15– पी.ड. 06 राजेन्द्र कुमार ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके सामने पप्पू के साथ कोई घटना नहीं हुई, न ही कोई लड़ाई–झगड़ा हुआ। उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी.06 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

16– पी.ड. 07 हेमराज भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जिसने पुलिस बयान प्रदर्श पी.07 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

17– पी.ड. 08 राजकुमार ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

18– पी.ड. 09 राकेश कुमार ने आहत पप्पू की चोटों का एक्सरे करना तथा एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी.08 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.09 लगायत 11 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

19– पी.ड. 10 रणविजय सिंह जो प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी है, ने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 बनाना, गवाहान के बयान लेखबद्ध करना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श डी.01 के ए से बी भाग में फरियादी ने बकरियां मुल्जिमान के खेत पर घुसने की शिकायत करने पर लड़ाई होना बताया था।

20– पी.ड. 11 अतीक ने आहत पप्पूलाल की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.10 बनाना बताया है, जिसमें अंकित सभी चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होने का कथन किया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि यदि कोई व्यक्ति स्लिप होकर मोटरसाईकिल से गिर जाये तो प्रदर्श पी.10 की समस्त चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

21– पी.ड. 12 भोजराज भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने पुलिस बयान प्रदर्श पी.11 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

22– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (i)–</u>

23– साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है। जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत पप्पूलाल का सदोष अवरोध कारित करते हुए सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की। इस संबंध में परिवादिया घीसी बाई और आहत पप्पूलाल द्वारा जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 दर्ज करायी गयी है, उसमें अभियुक्त मदन उर्फ पुष्पेन्द्र के पिता सत्यनारायण द्वारा उनके खेत में से मूंग की फलियां तोड़ने की बात को लेकर विवाद होना और उसके 4–5 दिन पश्चात् दूसरी घटना के रूप में जब आहत पप्पूलाल सुबह 06.30 बजे करीब बकरियां चराने जा रहा था तो अभियुक्त मदन द्वारा उसे रास्ते में रोक कर लकड़ी से, टोनू, नीलू, सोनू, राजू द्वारा मारपीट करना बताया है। रिपोर्ट में आहत पप्पूलाल के दोनों पैरों में, दोनों हाथों, कन्धे व पीठ पर चोटें आने का तथ्य अंकित किया है।

24– उक्त परिवादी पप्पूलाल पी.ड. 02 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से प्रथम घटना के बाद जब वह बकरियां लेकर इनके घर के आगे से जा रहा था तो मदन, सोनू, राजू, मोनू व अन्य 5–6 लोगों द्वारा उसे रोक लेना और **मदन व निर्मल द्वारा लकड़ियों से मारपीट करना बताया है।** इस प्रकार पी.ड. 02 पप्पूलाल ने अपने बयानों में विशिष्ट रूप से अभियुक्त मदन व निर्मल द्वारा लकड़ियों से मारपीट किये जाने का कथन किया है। उक्त गवाह से ऐसी कोई जिरह नहीं हुई है, जिससे उसके बयानों में कोई गंभीर विरोधाभास होना प्रकट होता हो। पी.ड. 01 घीसी बाई भी घटना के समय स्वयं का अपने पति के पीछे आना बता रही है। हालांकि इस गवाह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि पप्पू के साथ जब मारपीट व गाली–गलौंच हुई तब वह वहां पर नहीं थी, वह घटना के बाद गयी थी, लेकिन इस गवाह ने इस हद तक घटना की पुष्टि की है कि जब उसके पति के साथ मारपीट की और वह वहां पीछे से गयी तो औरतों ने भी उसे रोक कर उसके साथ मारपीट की। इस गवाह ने अपने बयानों में अपने पति का मेहरों के घर में जाकर छिप जाना और वहां भी उसके पति के साथ मारपीट करना बताया है। पी.ड. 02 पप्पूलाल ने भी इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि वह प्रभूलाल मेहर के घर में घुस गया तो वहां भी इन लोगों ने आकर उसके साथ मारपीट की। इस प्रकार पी.ड. 01 घीसी बाई द्वारा घटना

स्वयं द्वारा नहीं देखी गयी है, लेकिन पश्चातवर्ती घटनाक्रम के संबंध में उक्त गवाह द्वारा किये गये कथनों से लड़ाई–झगड़ा होने के तथ्य की पुष्टि हो रही है।

25– पी.ड. 11 अतीक ने आहत पप्पूलाल की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.10 बनाना बताया है, जिसमें अंकित सभी चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होने का कथन किया है। उक्त मेडीकल ज्यूरिष्ट ने आहत के कारित चोट संख्या 01 बायें पांव पर, चोट संख्या 02 बायीं भुजा पर, चोट संख्या 03 पीठ के ऊपर हिस्से पर, चोट संख्या 04 पीठ पर तथा चोट संख्या 05 बायें हाथ पर कारित होना बताया है। पी.ड. 02 पप्पूलाल ने भी अपनी रिपोर्ट व बयानों में मारपीट में स्वयं के हाथ–पैरों पर चोटें आना बताया है तो इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से भी आहत के कथनों की पुष्टि हो रही है।

26– अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रहा है कि सभी स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और यह प्रकरण एक मात्र आहत की साक्ष्य पर आधारित है। वास्तव में परिवादी/आहत पप्पूलाल की बकरियां अन्य लोगों के खेतों में घुस कर नुकसान करती हैं, इस बाबत् उलाहना देने पर उसके द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। उक्त तर्कों के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। हस्तगत प्रकरण में हालांकि सभी स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, लेकिन पी.ड. 02 पप्पूलाल ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्त मदन व निर्मल द्वारा लकड़ियों से उसके हाथ–पैरों पर चोटें मारना बताया है। इस तथ्य की पुष्टि मेडीकल ज्यूरिष्ट पी.ड. 11 अतीक के कथनों से भी हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां पी.ड. 02 पप्पूलाल के कथनों से घटना कारित होने के संबंध में कोई गंभीर विरोधाभास होना प्रकट नहीं हो रहा है और चिकित्सकीय साक्ष्य से भी उसके द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हो रही है तो अन्य स्वतंत्र गवाहों के पक्षद्रोही घोषित हो जाने के आधार पर ही उसके बयानों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। पी.ड. 01 घीसी बाई और पी.ड. 02 पप्पूलाल ने अपने बयानों में इस घटना से 3–4 दिन पहले अभियुक्त मदन के पिता सत्यनारायण द्वारा उनके खेत से मूंग की फलियां तोड़ने के बारे में विवाद होना बताया है तो अभियुक्तगण द्वारा आहत पप्पूलाल के साथ मारपीट किये जाने का Motive (हैतुक) भी साक्ष्य से प्रकट हो रहा है।

27– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार पी.ड. 02 पप्पूलाल व पी.ड. 11 डॉ. अतीक के कथनों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि अभियुक्तगण मदन उर्फ पुष्पेन्द्र तथा नीलू उर्फ निर्मल द्वारा परिवादी/आहत पप्पूलाल को रास्ते में रोक कर उसका सदोष अवरोध कारित किया तथा उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण

उपहतियां कारित की। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मदन उर्फ पुष्पेन्द्र तथा नीलू उर्फ निर्मल के विरुद्ध धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।**

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (ii)–</u>

28– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप हैं। इस संबंध में परिवादिया घीसी बाई द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि पप्पू के साथ जब मारपीट व गाली–गलौंच हुई तब वह वहां पर नहीं थी, वह घटना के बाद गयी थी। इस प्रकार परिवादिया के सामने अभियुक्तगण द्वारा आहत पप्पूलाल के साथ कोई गाली–गलौंच की हो यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि परिवादिया ने प्रथम घटना के रूप में अपनी पुत्री गोली के साथ अभियुक्त द्वारा गाली–गलौंच करना बताया है लेकिन उस घटना के संबंध में न तो उसी समय रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है और न ही परिवादिया की पुत्री गोली व संगीता साक्ष्य में परीक्षित हुई हैं। किसी घटना के तथ्य को उसी व्यक्ति के द्वारा साबित किया जा सकता था, जिसके साथ घटना कारित हुई है, किंतु परिवादिया की दोनों पुत्रियां अभियोजन की ओर से साक्ष्य में परीक्षित नहीं होने के कारण यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त मदन ने परिवादी के घर पर जाकर उसकी पुत्री गोली व संगीता में गाली–गलौंच की हो।

29– द्वितीय घटना के संबंध में पी.ड. 02 आहत पप्पूलाल ने अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उसे रोक कर उसके साथ मारपीट करना बताया है, किंतु अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौंच करने का कोई कथन नहीं किया है। इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि मुल्जिमान ने क्या गालियां दी उसे याद नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों के कथनों से अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त शब्द स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को साशय अपमानित करने के लिए गाली–गलौंच की हो। इसके अलावा अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी स्वतंत्र साक्षी पी.ड. 03 प्रभूलाल, पी.ड. 05 कृष्णकुमार, पी.ड. 06 राजेन्द्र, पी.ड. 07 हेमराज तथा पी.ड. 11 हेमराज पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की है।

30– इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय तथ्य है कि धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय अब्दुल मजीद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 2012 Cri.L.J 4392 में यह मत अभिव्यक्त किया है किः–

This Court is also of the opinion that a bare reading of the Section does not leave any room for doubt that the intentional insult which is given by the accused should be clothed with the intention or knowledge that such an insult would provoke the aggrieved person to commit breach of public peace or to commit an offence. A bare allegation of insult given without any of the fallouts as referred to in the Section, cannot give rise to an offence under Section 504 IPC.

As has already been referred to above, there is no such material available on the record either in the complaint or in the statements deposed by the complainant and his witnesses that the insult was given by the accused persons with any of the objectives as mentioned in the Section 504 I. P. C. The Section mandates that it should be alleged that the insult was made intentionally and that the accused intended or knew that it was likely that such provocation would cause the person insulted to break public peace or to commit any other offence. Mere abuse unaccompanied by an intention or knowledge as mentioned in the Section would not fall within the purview of the offence defined in the Section.

Since none of these circumstances, apart from a bare allegation of abuses being hurled by the accused, is shown to exist from the record, the proceedings of the complaint for the offence under Section 504 IPC cannot be permitted to be continued.

31– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि केवल साधारण गाली–गलौंच के आधार पर धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का गठन नहीं होता है जब तक कि यह दर्शित नहीं हो कि उक्त घटना इस आशय से अथवा इस ज्ञान के साथ प्रकोपित करने के लिए कारित की गयी हो तथा प्रकोपन इस स्तर का हो कि परिवादी लोकशांति भंग करे या कोई अपराध कारित करे। हस्तगत प्रकरण में परिवादिया पी.ड. 01 घीसी बाई एवं पी.ड. 02 पप्पूलाल ने अपनी रिपोर्ट में एवं बयानों में मारपीट की घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौंच करने का कोई तथ्य भी नहीं बताया है। पी.ड. 02 पप्पूलाल ने अपने बयानों में यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि मुल्जिमान द्वारा क्या गालियां दी उसे याद नहीं है। पी.ड. 01 घीसी बाई उक्त आहत पप्पूलाल के साथ गाली–गलौंच होने के समय मौके पर उपस्थित होना नहीं बता रही है। किसी स्वतंत्र गवाह ने घटना

की पुष्टि नहीं की है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के साथ गाली–गलौंच कर इस आशय से अपमानित किया हो कि वह प्रकोपित होकर लोकशांति भंग करे या कोई अपराध कारित करे। ऐसी स्थिति में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को गाली–गलौंच करते हुए साशय अपमानित किया हो ताकि वे प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करें। **अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (iii)–</u>

32– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत पप्पूलाल को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित कर गाली–गलौंच की हो। इस संबंध में सर्वप्रथम यह विचारणीय तथ्य है कि अभियोजन की ओर से आहत पप्पूलाल का जाति प्रमाण पत्र पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आहत पप्पूलाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।

33– इसके अतिरिक्त परिवादिया पी.ड. 01 घीसी बाई एवं पी.ड. 02 आहत पप्पूलाल ने अपने बयानो में अभियुक्तगण द्वारा उनके घर पर आकर उनकी लड़की गोली को जातिसूचक शब्दों से गालियां निकाल कर अपमानित करना बताया है, किंतु उक्त गवाह उस घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे। परिवादी की पुत्री गोली साक्ष्य में परीक्षित भी नहीं हुई है। दूसरी घटना के समय आहत पप्पूलाल के साथ अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक गाली–गलौंच किये जाने के आरोप है, किंतु उक्त घटना के समय पी.ड. 01 घीसी बाई मौके पर स्वयं का उपस्थित होना नहीं बता रही है। स्वयं आहत पी.ड. 02 पप्पूलाल ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मुल्जिमान ने क्या जातिसूचक गालियां दी हमने रिपोर्ट में नहीं लिखाया। यह सही है कि मुल्जिमान ने क्या गालियां दी उसे याद नहीं है। इस प्रकार स्वयं आहत पप्पूलाल के कथनों से अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक गालियां देने का तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 03 प्रभूलाल, पी.ड. 05 कृष्णकुमार, पी.ड. 06 राजेन्द्र, पी.ड. 07 हेमराज तथा पी.ड. 11 हेमराज पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया हो।

34– धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आरोप के लिए यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया हो। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने **सम्मानित न्यायिक दृष्टांत** "**Daya Bhatnagar And Ors. vs State, 109(2004) DLT, 915** के पैरा–19 में यह अवधारित किया है किः–

19. The SC/ST Act was enacted with a laudable object to protect vulnerable section of the society. Sub–clauses (i) to (xv) of Section 3(i) of the Act enumerate various kinds of atrocities that might be perpetrated against Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which constitute an offence. However, Sub–clause (x) is the only clause where even offending "utterances" have been made punishable. The Legislature required 'intention' as an essential ingredient for the offence of Insult', "intimidation' and "humiliation' of a member of the Scheduled Casts or Scheduled Tribe in any place within "public view'. Offences under the Act are quite grave and provide stringent punishments. Graver is the offence, stronger should be the proof. The interpretation which suppresses or evades the mischief and advances the object of the Act has to be adopted. Keeping this in view, looking to the aims and objects of the Act, the expression "public view" in Section 3(i)(x) of the Act has to be interpreted to mean that the public persons present, (howsoever small number it may be), should be independent and impartial and not interested in any of the parties. In other words, persons having any kind of close relationship or association with the complainant, would necessarily get excluded. I am again in agreement with the interpretation put on the expression "public view" by learned brother Mr. Justice B.A. Khan. The relevant portion of his judgment reads as under:

"I accordingly hold that expression within 'public view' occurring in Section 3(i)(x) of the Act means within the view which includes hearing, knowledge or accessibility also, of a group of people of the place/locality/village as distinct from few who are not private and are as good as strangers and not linked with the complainant through any close relationship or any business, commercial or any other vested interest and who are not participating members with him in any way. If such group of people comprises anyone of

these, it would not satisfy the requirement of 'public view' within the meaning of the expression used.

35– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि लोक दृश्य में आने वाले किसी स्थान पर जातिसूचक गालियां से सम्बोधित करने का तथ्य तभी प्रमाणित माना जा सकता है जब किसी स्वतंत्र गवाह ने इस तथ्य की पुष्टि की हो। हस्तगत प्रकरण में घटना के स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में पी.ड. 03 प्रभूलाल, पी.ड. 05 कृष्णकुमार, पी.ड. 06 राजेन्द्र, पी.ड. 07 हेमराज तथा पी.ड. 11 हेमराज परीक्षित हुए हैं है, जो पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने घटना की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की है। ऐसी स्थिति में जहां प्रकरण में स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक गाली–गलौंच करने का तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक गालियों से सम्बोधित किया गया हो। **अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

36– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिवादी का अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना प्रमाणित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त परिवादिया पी.ड. 01 घीसी बाई ने अपनी रिपोर्ट में अभियुक्त मदन के पिता सत्यनारायण द्वारा परिवादिया के खेत में से मूंग की फलियां तोड़ने की बात को लेकर विवाद होना और उसी विवाद के अनुक्रम में घटना के 3–4 दिन पश्चात् परिवादिया के पति आहत पप्पूलाल के बकरियों चराने के लिए जाते समय उसे रोक कर उसके साथ मारपीट करना प्रकट हो रहा है। परिवादिया पी.ड. 01 घीसी बाई व पी.ड. 02 पप्पूलाल ने अपने बयानों में भी सत्यनारायण को उनके खेत से मूंग की फलियां तोड़ना और उसके घर समझाईश करने जाना बताया है। तत्पश्चात् 4–5 दिन बाद आहत पप्पूलाल का बकरियां लेकर इनके घर के सामने से जाने पर अभियुक्तगण द्वारा उसे रोक कर उसके साथ मारपीट करना बताया है। इस प्रकार जहां दोनों पक्षों में खेत से मूंग की फलियां तोड़ने की बात को लेकर विवाद होना और उसी अनुक्रम में दूसरी घटना के दौरान आहत पप्पूलाल के साथ मारपीट किया जाना प्रकट हो रहा है तो यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी की जाति को जानते हुए इसी आधार पर मारपीट की हो।

37– इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Smt. Chhaya And 3 Others vs State Of U.P. And Another Cri. Appeal No. 5748/2023 निर्णय दिनांक 11.08.2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

So far as the offence under Section 3(2) (va) of SC/ST Act is concerned, it is true that as per the language of the Act this section would come into light if the victim/ first informant belongs to SC/ST community only and the accused/appellant knowingly that the victim belongs to SC/ST community committed offence with this intent only. Though, as per the version of the FIR, the appellants are the residents of the same locality where the first informant resides but as per the judgment Hitesh Verma Vs. State of Uttarakhand and Anr., AIR 2020 Supreme Court 5584, the Apex Court opined that any offence under Section 3(2) (va) of SC/ST Act would be made out only if the offence is caused because of being the first informant or the victim of scheduled caste or scheduled tribe community only but the version of FIR clearly speaks that the incident took place because of enmity of the incident dated 05.10.2021, thus, the incident cannot be said to be taken place because of the first informant or the victim belonging to a scheduled caste or scheduled caste community only.

38– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में जहां घटना पूर्व रंजिश के कारण हुई थी तो हितेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपराध गठित होना नहीं माना गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण की साक्ष्य का विवेचन करें तो यह स्पष्ट है कि परिवादिया एवं अभियुक्त मदन के पिता सत्यनारायण के मध्य खेत से मूंग की फलिया तोड़ने की बात को लेकर विवाद हुआ था और उसी विवाद के चलते तीन–चार दिन पश्चात् दूसरी घटना के दौरान अभियुक्तगण ने आहत पप्पूलाल के साथ मारपीट की थी। इस तथ्य की पुष्टि परिवादिया पी.ड. 01 घीसीबाई व पी.ड. 02 पप्पूलाल के बयानों से हो रही है। इस प्रकार जहां दोनों पक्षों में खेत से मूंग की फलियां तोड़ने की बात को लेकर कहासुनी या विवाद हुआ था और उसी विवाद के अनुक्रम में परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की गयी थी तो यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ जाति के आधार पर मारपीट की हो। अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी की जाति को जानते हुए, इसी आधार पर अधिनियम की अनुसूची में आने वाला धारा 341, 323 भारतीय दण्ड

संहिता का अपराध किया गया हो। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

39– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i) को अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है, किंतु विचारणीय बिन्दु संख्या (ii) व (iii) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्तगण मदन उर्फ पुष्पेन्द्र व नीलू उर्फ निर्मल को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 504/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना तथा **धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के लिए दोषसिद्ध** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

40– अतः अभियुक्तगण **1. मदन उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र सत्यनारायण, उम्र–31 साल (वर्तमान उम्र–39 साल), 2. नीलू उर्फ निर्मल पुत्र हेमराज, उम्र–23 साल (वर्तमान उम्र–31 साल), निवासीगण–छैलाबैल, थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 504/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है तथा उक्त अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।** सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना जाएगा।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

41– सजा के बिन्दु पर सुना गया।

42– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, उनके विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। इस बाबत अभियुक्तगण की ओर से पृथक–पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं कि उन्हें पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया है और न ही उन्होंने किसी मामले में परिवीक्षा का लाभ प्राप्त किया है।

अभियुक्तगण प्रकरण में 08 वर्ष से अधिक समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं एवं ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति हैं। आहत के जो चोटे कारित हुई है वे साधारण प्रकृति की है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाए और उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाए।

43– इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण को आहत पप्पूलाल के साथ मारपीट करने के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। अतः अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

44– उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

45– अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने और परिवीक्षा का लाभ नहीं लेने बाबत शपथ पत्र भी पेश किये गये हैं। अभियुक्तगण लगभग 08 वर्षों से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। आहत की सभी चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना पायी गयी है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

46– परिणामतः अभियुक्तगण **1. मदन उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र सत्यनारायण, उम्र–31 साल (वर्तमान उम्र–39 साल), 2. नीलू उर्फ निर्मल पुत्र हेमराज, उम्र–23 साल (वर्तमान उम्र–31 साल), निवासीगण–छैलाबैल, थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.)** को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा **341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप के लिए तुरंत कारावास की सजा से दण्डित करने की बजाए **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4** का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त **पच्चीस हजार–पच्चीस हजार रूपये** का बंधपत्र व इसी राशि की **एक–एक जमानत एक वर्ष** की अवधि के लिए इस आशय की पेश कर तस्दीक कराए कि उक्त अवधि में वे शांति एवं सद्व्यवहार बनाए रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्ड भुगतेंगे तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

47– साथ ही **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–5** के अन्तर्गत अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त अभियोजन व्यय के रूप में **700–700/–रुपये कुल 700 X 2 = 1400/–रुपये अक्षरे एक हजार चार सौ रुपये** न्यायालय में जमा कराएगा। अभियुक्तगण से प्राप्त उक्त सम्पूर्ण अभियोजन व्यय की **राशि 1400/–रुपये में से 1000/– रुपये** बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन आहत पप्पूलाल को बतौर क्षतिपूर्ति राशि दी जावे।

48– चूंकि आहत को उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत परिवादी/आहत को पृथक से कोई क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

49– अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा धारा–437 ए दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील होने की स्थिति में उपस्थित होने हेतु पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करवाए जा चुके हैं, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

50– प्रकरण में यदि कोई वजह सबूत व मालखाना हो तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे तथा अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जावे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

51– निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

SUKHVEER LODHI
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUKHVEER LODHI
Date: 2026.03.13 17:21:41 +0530